04.09.24 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आज दाखिल किया गया। नियत 24.10.24 को सुनवाई।

24.10.24 अधिवक्ता द्वारा चूंकि मूलवाद प्र.सं. 2023/011, अमरजीत सिंह v/s जगजीत सिंह व अन्य खारिज किया जा चुका है अतः वि. क्र० का अस्तित्व कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः मु. सं. 2023/016, अमरजी सिंह v/s जगजीत सिंह वर्तमान स्वरूप पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र नस्तीबद्ध हो। प्रार्थना पत्र के कथन की सत्यता निर्णय में शामिल है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:22 IST
Reason: SelfAttested